



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6422

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 39527 वर्ष 2025

कृष्णपाल

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: सुदर्शन सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: प्रिया सक्सेना, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

1. हमने आवेदक के अधिवक्ता श्री सुदर्शन सिंह की ओर से उपस्थित श्री नागेंद्र प्रताप सिंह, शिकायतकर्ता की अधिवक्ता सुश्री प्रिया सक्सेना, और राज्य के अधिवक्ता श्री एजीए की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह जमानत याचिका आवेदक कृष्णपाल की ओर से दायर की गई है, जिसमें उनसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34, 504, 506 के तहत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 349/2021, पुलिस स्टेशन दातागंज, जिला बदायूं में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया गया है।

3. यह दूसरी जमानत याचिका है। आवेदक की पहली जमानत याचिका को इस न्यायालय ने अभियोजन की कमी के कारण खारिज कर दिया था।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि एफ.आई.आर. में आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई थी। जांच अधिकारी द्वारा उसके खिलाफ आरोपपत्र दायर नहीं किया गया था। मुकदमे के दौरान उसे धारा 319 सीआर.पी.सी. के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। अब आवेदक मुकदमे का सामना कर रहा है। यह तीन गोली लगने से घायल होने का मामला है। सभी चोटों का आकार समान है। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी चोटें एक ही हथियार से लगी हैं। आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 19.06.2025 से जेल में बंद है। दो सह-आरोपी, महेंद्र पाल और गजेंद्र पाल को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 12373 2022 और 1015 2025 क्रमशः मामले में पहले ही जमानत दी जा चुकी है। उपरोक्त मामले में सुनवाई निकट भविष्य में पूरी होने की संभावना नहीं है।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि उसे मुकदमे से पहले के चरण में निर्दोष नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए वह किसी भी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

6. उपरोक्त उल्लिखित पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों में बल पाते हुए, मुकदमे के निष्कर्ष के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए; पुलिस द्वारा एकतरफा जांच, जिसमें आरोपी पक्ष के मामले की अनदेखी की गई; आवेदक विचाराधीन कैदी होने के कारण उसे शीघ्र सुनवाई का मौलिक अधिकार प्राप्त है; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश को ध्यान में रखते हुए, मनीष सिसोदिया बनाम निदेशालय प्रवर्तन 2024, (एससी) मुकदमा 677 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद संख्या 53 को ध्यान में रखते हुए और विचाराधीन कैदियों द्वारा जेलों में उनकी क्षमता से 5-6 गुना अधिक भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।
- (ii) आवेदक यह वचन देगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, किसी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, अवर न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, या तो स्वयं या न्यायालय के निर्देशानुसार। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, अवर न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(iv) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक उसमें निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो अवर न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगी।

(v) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष उन तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा जो (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप निर्धारण और (iii) धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित की गई हैं। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही करना खुला रहेगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. आवेदक और जमानतदारों की पहचान और निवास प्रमाण को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा, बॉन्ड स्वीकार किए जाने से पहले।

9 जनवरी 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभिषेक

(न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।